न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — नेहा छीपा R.A.S
प्रकरण संख्या 32/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 गिरीश पुत्र श्री बंशीलाल ब्राह्मण नि0 तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
2 श्रीमती मोहनी पत्नी स्व0 बंशी लाल ब्राह्मण नि0 तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
3 श्याम लाल पुत्र स्व0 बंशी लाल ब्राह्मण नि0 तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

..... प्रार्थीगण

बनाम

1 सत्यनारायण पुत्र श्री लादू लाल सोमानी नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2 राजस्थान राज्य जरिये, तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::— श्री कैलाश चन्द्र आचार्य प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ

अनुपस्थिति::— अप्रार्थी संख्या 01

निर्णय

दिनांक 01.10.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 05.06.2020 को प्रस्तुत किया गया। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित है, जिसके आराजी नम्बर 1299 रकबा 0.2782 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1300 रकबा 0.4299 हैक्टयर भूमि अन्य आराजीयात के साथ स्थित है। जो प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है। यह कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक में वर्णित आराजीयात में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि हमीरगढ़ गांव से शनिदेव मन्दिर की तरफ जाने वाले डामरीकरण पक्की सड़क आराजी नम्बर 2133 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1791 रकबा 0.3161 हैक्टयर के उत्तरी मेड़ से होकर प्रार्थीगण अपनी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

आराजियात पर आते जाते है जो 15 फीट चौडा रास्ता बना होकर गाडी गडार बनी हुई है व साथ ही विपक्षी संख्या 01 एक द्वारा उक्त आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजो से खरीदी गयी भूमि को खरीदी है व इसी आराजी मे पानी का धोरा भी निकलता है, जिसके संबंध मे लिखापढी भी हो रखी है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। यह है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजियात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, पूर्व के खातेदार भी इसी रास्ते से आते जाते थे, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है व विपक्षी संख्या 01 एक की नियत मे फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजियात को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते मे अवरोध पैदा करने लग गये। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षीगण को दिनांक 25 पच्चीस गई 2020 दो हजार बीस को जबरन पक्की दीवार बनाकर रास्ते मे अवरोध पैदा नहीं करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये व रास्ते को बंद करने की धमकी दी। जबकि विपक्षी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 01 जबरन प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आवागमन करने में बाधा पैदा कर रहा है व रास्ते को बंद करने पर आमादा है। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके की रिपोर्ट तलब फरमा, उसके आधार पर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नही करे। यह है कि उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नहीं हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यह है कि उक्त आराजी सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित होने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है। यह है कि विपक्षी संख्या 02 दो लैण्ड होल्डर होने से विपक्षी बनाया गया है। रास्ते मे अवरोध पैदा करने लग गये। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है व विपक्षीगण को दिनांक 25 पच्चीस गई 2020 दो हजार बीस को जबरन पक्की दीवार बनाकर रास्ते में अवरोध पैदा नहीं करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये व रास्ते को बंद करने की धमकी दी। जबकि विपक्षी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 01 जबरन प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आवागमन करने में बाधा पैदा कर रहा है व रास्ते को बंद करने पर आमादा है। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके की रिपोर्ट तलब फरमा, उसके आधार पर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नही करे। यह है कि उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नहीं हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित है, जिसके आराजी नम्बर 1299 रकबा 0.2782 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1300 रकबा 0. 4299 हैक्टयर जिस पर आने जाने हेतु जो कि एकमात्र रास्ता जो कि हमीरगढ़ गांव से शनिदेव मन्दिर की तरफ जाने वाले डामरीकरण पक्की सडक आराजी नम्बर 2133 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1791 रकबा 0.3161 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

के उत्तरी मेड़ से होकर अपनी आराजियात पर जाते है, से 15 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 17.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 07 नियम 11 जा.दी. दिनांक 02.02.2021 को पेश किया गया जिसका जवाब प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.02.2022 जवाब पेश किया गया। प्रकरण में दिनांक 20.09.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 07 नियम 11 को अस्वीकार करने के आदेश पारीत किये गये।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन प्रकरण संख्या 32/2020 उनवान गिरीश पुत्र बंशी लाल नि0 हमीरगढ बनाम सत्यनारायण पुत्र लादु लाल सोमाणी नि0 हमीरगढ के आ.न. 1299 व 1300 में पहूँचने के लिए आ0न0 1791 मे से रास्ता चाहने हेतु वाद दायर किया है। राजस्व रेकार्ड अनुसार ग्राम हमीरगढ के आ0न0 1299,1300,1301, 1404,1405, 1407,3983/1300 किता 07 रकबा 2.3392 है0 गिरीश पुत्र बंशीलाल 1/3 मोहनी पत्नि स्व0 बंशीलाल 1/3 श्याम लाल पुत्र बंशीलाल 1/3 ब्राह्मण के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण की आराजी नं. 1299,1300,3983/1300 व 1301 आपस में लगती हुई है। आ0न0 13601 की पश्चिमी एवं उत्तरी मेड पर से लगता हुआ रास्ता आ.न. 1319 रकबा 0.3667 है0, किस्म गै0मु0 रास्ता पूर्व में ही बिलानाम में दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी उक्त रास्ते में से आ जा सकता है। अतः राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज होने से नया रास्ता प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित नही है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन किया गया एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र से चाहा गया अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) में इंगित वैकल्पिक मार्ग पहले से मौजूद वाले मापदंड को आधार मानते हुए देय नही है।

–::आदेश::–

प्रार्थनापत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) में इंगित तथ्यो अनुसार नवीन मार्ग की आत्यंतिक आवश्यकता का अनुतोष सिद्ध नही होने एवं वैकल्पिक मार्ग पहले से मौजूद होने के कारण पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा